संख्या-258/2024/आई/693134/23-1-24/003-23-1002 002/131/2024

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 16 जुलाई, 2024**

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से प्रयागराज मण्डल के विभिन्न जनपदों के 28 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ पत्र संख्या-9395/CE-HQ-1/RSN 3054/PRJ/2024-25, दिनांक 10.07.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार प्रयागराज मण्डल के विभिन्न जनपदों **के 28 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 10,37,07,000/- (रूपये दस करोड़ सैंतीस लाख सात हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-2 फतेहपुर	पी0जी0वी0 से बसफरा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत के अन्तर्गत आबादी भाग में सी.सी. मार्ग एवं नाली निर्माण का कार्य, एवं टैक कोट, पी0सी0 व सील कोट का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2-दिनांक-07-01-2022	65.30 65.30 48.91 2.60 62.70	56.01	6.69	2.09
2	नि.ख.-2 फतेहपुर	अलमापुर नहरामऊ करनपुर मार्ग।	54 /2023/1356 रासनि /23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक-07-01-2023	93.74 93.74 66.16 8.18 85.56	37.65	47.91	47.91
3	नि.ख.-2 फतेहपुर	खजुहा कोरसम कनेरी पहरवापुर मार्ग	54 /2023/1356 रासनि /23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक-07-01-2023	89.33 89.33 65.89 4.29 85.04	75.53	9.51	9.51

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
4	नि.ख.-2 फतेहपुर	शिवराजपुर बिन्दकी ललौली मार्ग।	310 /2023/802 रासनि /23-1-23/001-57 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक-27-04-2023	60.10 60.10 39.22 8.22 51.88	44.03	7.85	7.85
5	नि.ख.-2 फतेहपुर	बरौरा बकोली पैगम्बरपुर मार्ग।	310 /2023/802 रासनि /23-1-23/001-57 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक-27-04-2023	78.15 78.15 52.02 14.01 64.14	56.60	7.54	7.54
6	प्रा.ख. फतेहपुर	खागा किशुनपुर मार्ग किमी-1, 2 में स्थित ओवर ब्रिज के नीचे सर्विस रोड के विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2-दिनांक-07-01-2022	79.70 79.70 56.07 5.00 74.70	7.97	66.73	32.38
7	प्रा.ख. फतेहपुर	शेरशाह सूरी मार्ग जी0टी0 मार्ग शहरी भाग खागा	307 /2022/625 रासनि/23-1-2022/003-41 आरएसएन/2022 टीसी-दिनांक-06-10-2022	103.36 103.36 63.89 2.50 100.86	41.61	59.25	48.74
8	प्रा.ख. फतेहपुर	खागा किशुनपुर मार्ग से टेसाहीखुर्द सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	429/2022/1024 रासनि/23-1-22/001-50 आरएसएन/2022 टी0सी0-2-दिनांक-24-11-2022	62.83 62.83 45.41 1.00 61.83	45.41	16.42	8.99
9	प्रा.ख. फतेहपुर	फतेहपुर भिटौरा से हाजीपुरगंग सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	429/2022/1024 रासनि/23-1-22/001-50 आरएसएन/2022 टी0सी0-2-दिनांक-24-11-2022	46.94 46.94 38.70 1.28 45.66	21.07	24.59	20.10
10	प्रा.ख. फतेहपुर	जी0टी0 मार्ग से कोराई सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	429/2022/1024 रासनि/23-1-22/001-50 आरएसएन/2022 टी0सी0-2-दिनांक-24-11-2022	46.36 46.36 31.77 1.29 45.07	33.01	12.06	7.68
11	प्रा.ख. फतेहपुर	बांदा बहराईच मार्ग से देवरी अभैया लक्ष्मणपुर सलेमाबाद सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	429/2022/1024 रासनि/23-1-22/001-50 आरएसएन/2022 टी0सी0-2-दिनांक-24-11-2022	83.01 83.01 56.32 1.62 81.39	58.48	22.91	13.69
12	प्रा.ख. फतेहपुर	एन0एच0-2 का निस्काशित भाग (थरियॉव आबादी भाग)	54 /2023/1356 रासनि /23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक-07-01-2023	67.59 67.59 38.95 3.66 63.93	34.56	29.37	29.37
13	प्रा.ख. फतेहपुर	फतेहपुर भिटौरा मार्ग	54 /2023/1356 रासनि /23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक-07-01-2023	425.81 425.81 268.53 15.00 410.81	127.95	282.86	124.47

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
14	प्रा.ख. फतेहपुर	जी0टी0 रोड से हसवा, पटैतापुर होते हुए मेढ़ी का पुरवा तक मार्ग	54 /2023/1356 रासनि /23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक-07-01-2023	101.76 101.76 74.35 79.36 22.40	4.68	17.72	17.72
15	प्रा.ख. फतेहपुर	जनपद फतेहपुर में बिन्दकी कस्बे में बाई पास	54 /2023/1356 रासनि /23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक-07-01-2023	140.66 140.66 88.31 2.50 138.16	0.25	137.91	68.95
16	प्रा.ख. फतेहपुर	गाजीपुर विजयीपुर मार्ग के कि0मी0 26 से इटरौरा थुरियानी भसरौल किशुनपुर मार्ग तक	54 /2023/1356 रासनि /23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी दि 07.01.2023- दिनांक-07-01-2023	103.26 103.26 63.08 2.75 100.51	70.03	30.48	30.48
17	प्रा.ख. फतेहपुर	हरदों से लौकियापुर कुकरा तिलकापुर होते हुए जी0टी0 मार्ग तक डाईवर्जन सं0 मार्ग	54 /2023/1356 रासनि /23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक-07-01-2023	81.84 81.84 55.29 1.50 80.34	65.60	14.74	14.74
18	प्रा.ख. फतेहपुर	थरियॉव हथगॉव मार्ग	310 /2023/802 रासनि /23-1-23/001-57 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक-27-04-2023	151.65 151.65 94.79 2.50 149.15	114.76	34.39	34.39
19	प्रा.ख. फतेहपुर	कोट दरियामऊ मार्ग	310 /2023/802 रासनि /23-1-23/001-57 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक-27-04-2023	277.67 277.67 161.92 18.00 259.67	150.42	109.25	54.62
20	नि.ख.-1 प्रतापगढ़	बादशाहपुर पिपराझार वाया सराय लालशाह सम्पर्क मार्ग	310 /2023/802 रासनि /23-1-23/001-57 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक-27-04-2023	44.25 44.25 36.22 0.29 43.96	30.98	12.98	12.00
21	प्रा.ख. प्रतापगढ़	तेरहमील से गोठवा बरहूपुर वाया करैला भैसोनी मार्ग।	54 /2023/1356 रासनि /23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक-07-01-2023	57.75 57.75 40.67 0.42 57.33	48.16	9.17	9.17
22	प्रा.ख. प्रतापगढ़	पटटी बंधवा मार्ग	310 /2023/802 रासनि /23-1-23/001-57 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक-27-04-2023	60.77 60.77 45.75 0.46 60.31	49.65	10.66	10.66
23	नि.ख.-3 प्रयागराज	लखरैया ककरा मार्ग	310 /2023/802 रासनि /23-1-23/001-57 आरएसएन/2022	62.68 62.68 42.50 3.75 58.93	46.89	12.04	10.13

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
			टीसी दिनांक-27-04-2023				
24	नि.ख.-3 प्रयागराज	शकरदहा आनापुर मोहरब भगवती खानशाह का पूरा श्रृगवेरपुर श्री राम चैरा मेण्डारा सीताकुण्ड भैरोघाट मार्ग पर सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	90 /2024/आई/5152 63/23-1-24/001-23-1002(002)/54/2024 -दिनांक-07-03-2024	539.96 539.96 399.29 50.00 489.96	1.00	488.96	134.99
25	प्रा.ख. प्रयागराज	सिरसा कोरांव ड्रमण्डगंज मार्ग	307 /2022/625 रासनि/23-1-2022/003-41 आरएसएन/2022 टीसी-दिनांक-06-10-2022	349.50 349.50 192.48 25.00 324.50	276.62	47.88	45.45
26	प्रा.ख. प्रयागराज	एम0के0के0 से लाल तारा पालपटटी वाया सुजनी सम्पर्क मार्ग	310 /2023/802 रासनि /23-1-23/001-57 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक-27-04-2023	148.68 148.68 79.55 0.85 147.83	104.08	43.75	23.14
27	प्रा.ख. प्रयागराज	मेजा रोड कोहड़ारघाट पक्की सड़क से सिंहपुर होते हुए कोना तक सम्पर्क मार्ग	310 /2023/802 रासनि /23-1-23/001-57 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक-27-04-2023	48.57 48.57 28.35 6.13 42.44	35.27	7.18	7.00
28	प्रा.ख. प्रयागराज	जनपद प्रयागराज में भारतगंज प्रतापपुर (राज्य मार्ग-102) मार्ग के चैनेज 0.00 से 5.000, 6.000 से 8.000, 9.000 से 10.000, 21.500 से 29.000, 45.000 से 57.850, 58.630 से 64.400 एवं 65.150 से 68.550 तक सामान्य मरम्मत से नवीनीकरण का कार्य।	550 /2023/1008 रासनि/23-1-23/004-44 आरएसएन/2023 टीसी -दिनांक-20-06-2023	1461.76 1461.76 822.28 15.00 1446.76	769.04	677.72	203.31
						कुल योग-	**1037.07**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 10,37,07,000/- (रूपये दस करोड़ सैंतीस लाख सात हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-258/2024/आई/693134(1)/23-1-24/003-23-1002 002/131/2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

2-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3-जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

4-मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

5-मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

6-संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।

7-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8-वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9-वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10-लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11-नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाइल

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।